न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/118/2023	2023/561	20.10.2023	05.03.2024

1. हनुमान सहाय पुत्र बुद्धालाल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गोला का बास तहसील टहला, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.2023 तहसीलदार टहला प्रकरण संख्या 346/2023

उपस्थितः—

01. श्री चन्द्र मोहन यादव —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 18.09.2023 प्रकरण संख्या 346/2023 जिसके द्वारा संवत 2080 में ग्राम गोला का बास की आराजी खसरा न0 330 रकबा 0.13 है0 किस्म गोचर में से अतिक्रमित रकबा 0.13 है0 फसल ग्वार, आराजी खसरा न0 388 रकबा 0.15 है0 किस्म नहरी प्रथम में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में ग्वार, आराजी खसरा न0 390 रकबा 0.26 है0 किस्म नहरी प्रथम में से अतिक्रमित रकबा 0.26 है0 में ग्वार एवं आराजी खसरा न0 383 रकबा 3.42 है0 किस्म गै0मु0 गोचर में से अतिक्रमित रकबा 0.90 है0 में ग्वार एवं बाड लगाने पर बेदखली की कार्यवाही एवं 50 गुणा पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी की आराजी जिस पर वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वज कब्जा काश्त खातेदार थे तथा जिनका जमाबंदी में नाम खातेदार के रूप में अंकित था, उक्त आराजी पर अपीलांट बुजुर्गों के समय से ही कब्जा काश्त होकर करते आ रहे हैं। आज भी ग्वार की फसल बोई हुई है। रैस्पो0 द्वारा एक नोटिस धारा 91 का इस आशय का दिया कि अपीलान्ट द्वारा हाल खसरा न0 383 रकबा 3.42 है0, 388 रकबा 0.15 है0, 390 रकबा 0.26 है0, 330 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम गोला का बास तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिस भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपीलांट द्वारा कब्जा किया हुआ है। इसलिए दिनांक 18.09.2023 को कार्यवाही में उपस्थित होवे। नोटिस प्राप्ति पर अपीलांट रेस्पोडेंट कार्यालय पहुंचा तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कर जवाब प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी कार्यालय द्वारा जवाब का पत्रावली पर नहीं लिया गया तथा आगामी पेशी बाद में बताकर अपीलांट को वापस भेज दिया गया। जिसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को सूचित नहीं किया गया। बाद में दीगर व्यक्ति द्वारा अपीलांट को मालूम हुआ कि रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 18.09.2023 को अपीलांट को बेदखल किये जाने के आदेश दिए हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया किन्तु रैस्पो0 द्वारा नकल देने से इन्कार किया गया। अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है जो स्थाई रूप से ग्राम गोला का बास तहसील टहला जिला अलवर का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत ना होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। संवत 2013 की जमाबंदी में अपीलान्ट के पिता का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है तथा अपीलान्ट द्वारा गलत इंद्राजात के विरूद्ध डिक्लरेशन का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें यह तय होना है कि उक्त आराजी अपीलांट की है या गोचर भूमि के रूप में दर्ज इंद्राजात सही है। जब तक डिक्लरेशन का दावा पेण्डिंग है तब तक अपीलांट का उसकी कब्जेशुदा व खातेदारी की आराजी से बेदखल किया जाना न्यायसंगत व न्यायोचित नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर ना कर जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत ना होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पटवारी रिपोर्ट अपीलांट का उपलब्ध करवाई ना ही अपीलांट का जवाब पत्रावली पर लिया गया और मनमर्जी व एकतरफा रूप से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत ना होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट के बुजुर्गान का जमाबंदी में नाम था तथा 100 वर्ष से अधिक समय से वे अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा इस समय ग्वार की फसल बोई हुई है लेकिन इन तथ्यों पर भी गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा आराजियात की नपाई किये जाने हेतु भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया और बिना नापतोल व सुनवाई के अतिक्रमी मानकर नोटिस जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना निर्णय पारित कर दिया गया तथा सुनवाई का अवसर ना दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक आदेश दिनांक 18.09.2023 व नोटिस दिनांक 12.10.2023 को निरस्त फरमाया जाकर हाल खसरा नंबर 383 रकबा 3.42 है0, 388 रकबा 0.15 है0, 390 रकबा 0.26 है0, 330 रकबा 13 ऐयर वाके ग्राम गोलाकाबास, तहसील टहला जिला अलवर से अपीलाण्ट को बेदखल ना किये जाने व मौके की स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अपील में अपीलान्ट ने मुख्य तर्क अंकित किया है कि रैस्पो0 द्वारा धारा 91 का नोटिस विवादित आराजी के संबंध में अपीलान्ट को दिया जाकर दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। अपीलान्ट नोटिस प्राप्ति पर अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचकर नोटिस का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जवाब पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर भी नही लिया गया तथा आगामी पेशी बाद में बताने की बात कहकर अपीलान्ट को वापस भेज दिया गया। जिसके पश्चात अपीलान्ट को बिना कोई सूचना दिए दिनांक 18.09.2023 को निर्णय पारित कर दिया गया। सूचना होने पर अपीलांट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल देने से इन्कार किया गया। नकल उपलब्ध न होने के कारण अपीलान्ट के द्वारा नोटिस के आधार पर ही उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि संवत 2013 की जमाबंदी में अपीलान्ट के पिता का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है तथा अपीलान्ट द्वारा गलत इन्द्राजात के विरूद्ध एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साइक्लोस्टाईल परफोर्मा पर लिखा गया है न कि पृथक से लिखाया गया। पारित निर्णय विधिवत प्रतीत नहीं होता है और नही पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2023 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टहला को अपील अपीलान्ट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण पर पक्षकार की विधिवत सुनवाई कर समुचित एवं विस्तृत निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/24

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)